बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), अररिया

कृषि उन्नत्ति योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर आशुलिपिक–सह–लिपिक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पद का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	नियत मानदेय (रू0 में)	पदों की संख्या	उम्र	अनिवार्य योग्यता
01	आशुलिपिक–सह–लिपिक (राज्य स्कीम)	राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	स्नातक की डिग्री एवं आशुटंकन कार्य में 03 वर्ष का अनुभव के साथ कम्प्यूटर में 06 माह का डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर कार्य में दक्ष।

नियोजन हेतु सामान्य सूचना :–

- एकल पद होने के कारण पद अनारक्षित है।
- चयन प्रक्रिया–आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता / दक्षता परीक्षा / कार्यानुभव / साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
- चयन में बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा।
- उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- अन्य बातें समान रहने पर अधिकतम आयु के अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- संविदा पर नियोजन– संविदा पर नियोजन, योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्श की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया जाएगा, परंतु प्रत्येक वर्श संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोशजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवाविमुक्त किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाऐंगे और न हीं सरकारी सेवको को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाऐंगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- किसी भी कर्मी के उपर उनके पूर्व के संस्थानों / विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप / विभागीय कार्रवाई / न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो से संबंधित शपथ–पत्र (पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर) योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरांत हीं मानदेय / नियत वेतन देय होगा।
- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्ते सामान्य प्रशासन विभाग के संकप्ल संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप मान्य होगा।
- आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2025 को संध्या 05.00 बजे तक ही प्राप्त किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।
- पूर्ण रूपेण भरे गये आवेदन कार्यालय, परियोजना निदेशक, आत्मा, अररिया (संयुक्त कृशि भवन) कोर्ट स्टेशन रोड़, जिला–अररिया पिन कोड–854311 के पता पर निबन्धित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है।
- विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी https://araria.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला कृषि पदाधिकारी
–सह–
परियोजना निदेशक आत्मा, अररिया

PR. No. 006921 (Agriculture) 2025-26

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

रक्त की आवश्यकता पड़ने पर लाईसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों से ही रक्त प्राप्त करें।